



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा विभाग, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604322



By Email

No.F.3-1/2020 (CU)

December, 2020

The Registrar,
All (44) Central Universities
As per list attached

08 DEC 2020

Subject:- Action Taken Report on the Guidelines of Hon'ble Education Minister-Reg.

Sir/Madam,

The undersigned is directed to forward the Ministry of Education letter No. F. 22-02/2020-CU.Cdn dated 09th October, 2020 containing the extracted points from the directions/guidelines of Hon'ble Education Minister given in various in meetings and conferences with a request to furnish the comments/ Action Taken Report by return mail at talreja.ugc@gmail.com, snarain.ugc@gmail.com & ugccusection@gmail.com in the prescribed format as under:-

क्र० सं०	दिशा-निर्देश के बिन्दु	संबंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट
1.	सभी संस्थान रिक्त पदों के भरने का अभियान यथाशीघ्र पूरा करें और इस संबंध में एक महीने के अंदर कृत कार्यवाही और प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण एक महीने के अन्दर माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखें।	
2.	भर्ती की प्रगति के बारे में हर सप्ताह अपडेट होना चाहिए।	
3.	जल संरक्षण के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जल शक्ति अभियान चलाए जाने की इच्छा प्रकट की है।	
4.	मंत्रालय में और इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए साथ ही मंत्रालय द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने को कहा जाए और विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली का प्रचार किया जाए।	
5.	स्टार्स, इम्प्रेस, इंप्रिंट आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देना।	
6.	एक भारत-श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया अभियान, जल शक्ति अभियान, एक छात्र-एक वृक्ष जैसी माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर अमल करना।	
7.	सभी संस्थान आपसी समन्वय स्थापित करें कि उनके द्वारा किया गया खोज/नवोन्मेष की जानकारी अन्य संस्थानों को यथाशीघ्र और अधिकाधिक रूप से मिले ताकि उसका लाभ अन्य संस्थानों को मिले।	
8.	जो शोध एवं अनुसंधान विभिन्न विषयों पर हो रहा है। उसका क्रियान्वयन कितने प्रतिशत है। इसका विश्लेषण प्रति वर्ष कौन कर रहा है। इसकी रिपोर्ट मंत्रालय में आनी चाहिए।	
9.	जो शोध बच्चों के लिए हो रहा है उसका क्रियान्वयन कितने प्रतिशत हुआ और कितने प्रतिशत नहीं हुआ। आज की परिस्थितियों में क्रियान्वयन के लिए लाया जा सकता है या नहीं। इसको कौन सुनिश्चित करेगा। इसको सिस्टम में होना चाहिए।	
10.	शोध एवं नवाचार के लिए बनी कमीटियों को पुनर्गठित किया जाए।	
11.	20 संस्थान को चिन्हित करना चाहिए जो अतजातीय स्तर पर ऊंचाई पा सकता है उसके लिए एक योजना बनाकर सहायता करना चाहिए।	
12.	एक छात्र-एक वृक्ष को 40,000 कालेजों एवं सभी विश्वविद्यालयों में चलाया जाए।	

Yours faithfully

(Kulvinder Kaur)
Deputy Secretary

Encl. As above

F. No. 22-02/2020-CU.Cdn
Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
Desk-CU-Cdn

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated 9th October, 2020

To

The Secretary,
University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi

Subject: Action Taken Report on The Guidelines of Hon'ble Education Minister-reg

Sir,

I am directed to forward herewith the annexure containing the extracted points from the directions/ guidelines of Hon'ble Education Minister given in various in meetings and conferences.

2. As desired, the action taken report (ATR) on the above mentioned directions/ guidelines may please be submitted to this Ministry urgently, latest by forenoon of 12.10.2020, positively.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Kumar Kalikanand)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.: 011-23383538

Signature Not Verified

Digitally signed by KUMAR
KALIKANAND
Date: 2020.10.09 10:23:31 IST



माननीय शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देशों से सम्बंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट

सम्बंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट

क्रम संख्या	दिशा-निर्देश के बिंदु
1	सभी संस्थान रिक्त पदों के भरने का अभियान यथाशीघ्र पूरा करें और इस संबंध में एक महीने के अंदर कृत कार्यवाही और प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण एक महीने के अंदर माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखें।
2	भर्ती की प्रगति के बारे में हर सप्ताह अपडेट होना चाहिए।
3	जल संरक्षण के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जल शक्ति अभियान चलाए जाने की इच्छा प्रकट की है।
4	मंत्रालय में और इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए साथ ही मंत्रालय द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने को कहा जाए और विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली का प्रचार किया जाए।
5	स्टार, इम्प्रूव, इंग्रिट, स्मार्ट आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देना।
6	एक भारत-श्रद्ध भारत, फिड इंडिया अभियान, जल शक्ति अभियान, एक छात्र-एक वृक्ष जैसी माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर अमल करना।
7	सभी संस्थान आपसी समन्वय स्थापित करें कि उनके द्वारा किया गया खोज/ नवोन्मेष की जानकारी अन्य संस्थानों को यथाशीघ्र और अधिकाधिक रूप से मिले ताकि उसका लाभ अन्य संस्थानों को मिले।
8	जो शोध एवं अनुसंधान विभिन्न विषयों पर हो रहा है। उसका क्रियान्वयन कितने प्रतिशत है। इसका विश्लेषण प्रति वर्ष कौन कर रहा है। इसकी रिपोर्ट मंत्रालय में आनी चाहिए।
9	जो शोध बच्चों के लिए हो रहा है उसका क्रियान्वयन कितने प्रतिशत हुआ और कितने प्रतिशत नहीं हुआ। आज की परिस्थितियों में क्रियान्वयन के लिए लाया जा सकता है या नहीं। इसको कौन सुनिश्चित करेगा। इसको सिस्टम में होना चाहिए।

10	शोध एवं नवाचार के लिए बनीं कमेटियों को पुनर्गठित किया जाए।	
11	20 संस्थानों का चिन्हित करना चाहिए जो अतर्जतीय स्तर पर ऊंचाई पा सकते हैं उसके लिए एक योजना बनाकर सहायता करना चाहिए।	
12	एक छत्र एक वृक्ष को 40,000 कालेजी एवं सभी विश्वविद्यालयों में चलाया जाए।	